

# कार्यालय वन वृत्त शहडोल-484001 (मध्यप्रदेश)

PHONE-245361 FAX-240189 E\_MAIL- ccf.sdl@mp.gov.in

क्रमांक/माचि/2022/ 142  
प्रति,

शहडोल, दिनांक 05/01/2022

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक  
(भू-प्रबंध)  
म.प्र. भोपाल

**विषय -** वनमंडल अनूपपुर के परिक्षेत्र कोतमा के विभिन्न कक्षाओं के रकवा 314.743 हे. वनभूमि तथा ग्राम फुलकोना, डूमरकछार एवं मलमुड़ी के विभिन्न खसरों के रकवा 39.515 हे. राजस्व वनभूमि कुल 354.258 हे. वनभूमि में झिरिया वेस्ट ओपन काष्ठ पद्धति से कोयला उत्खनन का प्रत्यावर्तन-एसईसीएल हसदेव क्षेत्र (FP/MP/MIN/39881/2019)

**संदर्भ -**

1. भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र क्र./8-14/2020-एफ.सी. दि. 26.08.2020.
2. आपका पत्र क्रमांक/4295 दि. 17.12.2020 एवं 1944 दि. 17.06.2021
3. वमंअ अनूपपुर का पत्र क्रमांक/माचि./1712 दिनांक 09.12.2021.

☆☆☆

विषयान्तर्गत निवेदन है भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा वांछित बिन्दुओं का प्रतिवेदन एवं पुननरीक्षित 7 पेचर्स की वनभूमि क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना वनमंडलाधिकारी वनमंडल अनूपपुर उनके पत्र क्रमांक/माचि./1712 दिनांक 09.12.2021 से परिवेश पोर्ट पर अपलोड कर ऑनलाईन एवं हार्डकॉपी में प्रस्तुत किया है, 03 प्रतियों में आगामी कार्यवाही हेतु संलग्न कर सम्प्रेषित है।

संलग्न- उपरोक्तानुसार।

(पी.के.सर्मा)  
मुख्य वन संरक्षक  
वन वृत्त शहडोल (म०प्र०)

पृ.क्रमांक/माचि/2022/ 143  
प्रतिलिपि-

शहडोल, दिनांक 05/01/2022

1. वनमंडलाधिकारी, वनमंडल अनूपपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. महाप्रबंधक एसईसीएल हसदेव क्षेत्र, साउथ झगराखण्ड कॉलरी, जिला-कोरिया (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

मुख्य वन संरक्षक  
वन वृत्त शहडोल (म०प्र०)

# कार्यालय वन मण्डलाधिकारी वन मण्डल, अनूपपुर (म०प्र०)

E-mail : dfotanppur@mp.gov.in;

Ph. No. (07659) 222038

क्रमांक/मा.चि./2021/1712

अनूपपुर, दिनांक 9/12/2021

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक  
वन वृत्त शहडोल (म०प्र०)

**विषय :-** वन मण्डल अनूपपुर के परिक्षेत्र कोतमा के विभिन्न कक्षों के रकवा 314.743 हे. वन भूमि तथा ग्राम फुलकोना, डूमरकछार एवं भलमुड़ी के विभिन्न खसरों के रकवा 39.515 हे. राजस्व वन भूमि कुल 354.258 हे. वनभूमि में झिरिया वेस्ट ओपन कास्ट पद्धति से कोयला उत्खनन का प्रत्यावर्तन- एस.ई.सी.एल. हसदेव क्षेत्र। (FP/MP/MIN/39881/2019)

- संदर्भ :-**
- 1- भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र क्रमांक/8-14/2020-एफ.सी. दिनांक 26.08.2020
  - 2- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म०प्र० भोपाल का पत्र क्रमांक/4295 दिनांक 17.12.2020 एवं 1944 दिनांक 17.06.2021
  - 3- आपका पत्र क्रमांक/मा.चि./2021/4980 दिनांक 26.07.2021
  - 4- वन मण्डलाधिकारी दक्षिण शहडोल का पत्र क्रमांक/मा.चि./7079 दिनांक 23.11.2021
  - 5- क्षेत्रीय महाप्रबंधक हसदेव क्षेत्र का पत्र क्रमांक/155 दिनांक 24.11.2021

—000—

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि संदर्भित पत्र क्रमांक-1 एवं 2 द्वारा लगाई गयी कमियों/चाही गई जानकारी एस.ई.सी.एल. हसदेव क्षेत्र द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक-5 से इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है। एस.ई.सी.एल. हसदेव क्षेत्र से प्राप्त प्रतिवेदन एवं कार्यालयीन कार्यवाही पूर्ण कर प्रतिवेदन आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित है।

| S.No. | Query                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Reply                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| i.    | The NOC from other land owning agencies other than State Forest Department shall be submitted.                                                                                                                                                                                                                                                                   | जानकारी संलग्न है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ii.A  | Proposal has been submitted for 354.258 ha whereas as per the State Government recommendation in Part-V, Proposed diversion is for 347.115 ha but the kml file submitted with the proposal is of 354.512 ha. Hence a revised kml file shall be submitted duly accounting for those forest areas which are not recommended by the State Government for diversion. | राज्य सरकार द्वारा प्रपत्र V में आवेदित वन भूमि 354.258 हे. हेतु अनुशंसा की गई है, जिसमें वन क्षेत्र 343.874 हे. कोयला उत्खनन एवं 3.241 हे. रोड निर्माण के रूप में प्रयोग किया जाना है एवं शेष वन क्षेत्र 7.143 हे. (वन कक्ष क्रमांक 492 रकवा 1.734 हे., पी.एफ. 493 रकवा 2.437 हे., पी.एफ. 498 रकवा 1.396 हे. एवं आर.एफ. 502 रकवा 1.576 हे.) खनन से मुक्त रखने व सेफ्टी जोन क्षेत्र के रूप में उपयोग किया जाना है। |
| ii.B  | As per Site Inspection Report of CCF remaining 7.143 ha forest land which State Government has not recommended may be considered for 'Mining Safety Zone'. Whether this proposition is acceptable to the user agency. If agreeable, changed land use plan need submission.                                                                                       | मुख्य वन संरक्षक वन वृत्त शहडोल के स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 28.02.2020 अनुसार प्रकरण हेतु प्रस्तावित वनक्षेत्र में से वन कक्ष क्रमांक पी.एफ. 492 रकवा 1.734 हे., पी.एफ. 493 रकवा 2.437 हे, पी.एफ. 498 रकवा 1.396 हे. एवं आर.एफ. 502 रकवा 1.576 हे. कुल रकवा 7.143 हे. वनभूमि की अनुशंसा उत्खनन कार्य ना कर, केवल माइनिंग सेफ्टी जोन या                                                                       |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | अन्य कार्य हेतु किया गया है, जो उपरोक्त संस्थान को मान्य है। तदनुसार परिवर्तित लैंड-यूज प्लान की प्रति Parivesh पोर्टल पर अपलोड किया गया है।                                                                                                                                               |
| iii | As per DSS analysis (copy enclosed), Compensatory Afforestation sites (16 patches of degraded forest land) have issues and are not free from encumbrances. Hence revised CA land free from all encumbrances with site suitability certificate from the concerned DFO shall be submitted. | अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भ. प्रबंध) म०प्र० भोपाल के पत्र क्रमांक/4295 दिनांक 17.12.20 के तारतम्य में 16 पैचेस की वनीकरण योजना में से 07 पैचेस की वनीकरण योजना वनीकरण हेतु उपयुक्त नहीं पाये जाने के कारण पुनः 07 पैचेस की वनीकरण योजना Parivesh पोर्टल के भाग-2 में अपलोड किया गया है। |
| iv  | Detail Compensatory Afforestation Scheme has not been submitted by the State Govt./User Agency.                                                                                                                                                                                          | वरिष्ठ स्तर से संबंधित है।                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| v   | Regarding R&R Plan, the State Government has submitted a booklet named "Rehabilitation & Resettlement Policy of Coal India Ltd". insted of site specific R&R plan. Site specific R&R plan need submission.                                                                               | प्रकरण से संबंधित Rehabilitation & Resettlement योजना की प्रति Parivesh पोर्टल पर अपलोड किया गया है।                                                                                                                                                                                       |

संलग्न :- उपरोक्तानुसार। 4 प्रति में

*[Signature]*  
वन मण्डलाधिकारी  
वन मण्डल अनूपपुर

अनूपपुर, दिनांक 9/12/2021

पृ०क्रमांक/मा.चि./2021/ 17/13  
प्रतिलिपि :-

क्षेत्रीय महाप्रबंधक एस.ई.सी.एल. हसदेव क्षेत्र की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

*[Signature]*  
वन मण्डलाधिकारी  
वन मण्डल अनूपपुर